

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

निम्नलिखित कार्मिकों को पीएच.डी करने की अनुज्ञा रथाई निर्देश क्रमांक: शिविरा-माध्य/निजी /निर्देश/2019
दिनांक 13.06.2022 के क्रम में एतद द्वारा निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान	पीएच.डी. विषय	विश्वविद्यालय का नाम
1	मामराज सिंह प्राध्यापक-रसायन विज्ञान	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संरचना (डाइट) सीकर	शिक्षा	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
2	करण ढाका उप प्राचार्य	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लौटोती, ब्लॉक जैतारण, जिला-पाली	हिन्दी	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
3	सुरेन्द्र प्राध्यापक-चित्रकला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 NTR ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ़	चित्रकला	वनरथली विद्यापीठ राजस्थान
4	अनामिका घोषी असिस्टेन्ट प्रोफेसर समकक्ष प्राध्यापक	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर	शिक्षा	Pacufic Academy of Higher Education & Research University Udaipur Raj.
5	सुरेन्द्र कुमार प्राध्यापक-इतिहास	राजकीय उच्च माध्यमिक 4 DWM ब्लॉक रावतसर जिला हनुमानगढ़	इतिहास	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर
6	सविता शर्मा प्राध्यापक-भूगोल	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवों की कोटड़ी ब्लॉक हुरड़ा जिला भीलवाड़ा राज.	भूगोल	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर

- पीएच.डी. स्वयं के खर्च पर ही करनी होगी।
- पीएच.डी. करने के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रार्थी के द्वारा सर्वेक्षण/प्रयोग करने के लिए नियमानुसार स्वयं का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते विद्यालय व्यवस्था में विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
- पीएच.डी. शोध कार्य के दौरान कर्तव्य निर्धारन में विपरीत प्रभाव पड़ने पर अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।
- अनुज्ञा दिनांक से एक वर्ष की अवधि में यदि पीएच.डी. पंजीयन नहीं होता है, तो अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
- पाठ्यक्रम की वैधता नहीं होने की स्थिति में अथवा मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा।
- पीएच.डी. की उपाधि प्रदत्त होने पर शोध सारांश एवं उपाधि की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होती है।
- यह अनुज्ञा "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए) न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम-2016" का संबंधित विश्वविद्यालय एवं कार्मिक द्वारा पालन किये जाने के अध्यधीन जारी की जा रही है।
- उक्त अनुज्ञा दिए जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(रमेश कुमार हर्ष)
उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : ०६-०९-२०२३

क्रमांक : शिविरा/मा/शोध/पीएच.डी./अनुज्ञा/34265/VOL-2/2022/
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- रजिस्ट्रर- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/ वनरथली विद्यापीठ राजस्थान/ Pacufic Academy of Higher Education & Research University Udaipur Raj/ महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर/ महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरु, पाली, बीकानेर, उदयपुर एवं अजमेर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर, पाली, हनुमानगढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं भीलवाड़ा।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक, सीकर, पाली, हनुमानगढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं भीलवाड़ा।
- सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- डाइट सीकर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र, पाली, समग्र शिक्षा, जैतारण, जिला-पाली, ब्लॉक नोहर जिला हनुमानगढ़, ब्लॉक रावतसर जिला हनुमानगढ़, ब्लॉक हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
- संबंधित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली।

Digitally signed by Rakesh Kumar Harsh

Designation : Deputy Director

Date: 2023.09.06 12:50:07 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4635091

